न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 09 / 2025 (उदयपुर आर्डर)

1. श्री पीथाराम पिता स्व. श्री पन्ना जी भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री दुधाराम पिता स्व. श्री पन्ना जी भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्री धन्नालाल पिता स्व. श्री पन्ना जी भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्री कमलाराम पिता स्व. भीमा जी भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्री खमाण पिता स्व. भीमा जी भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्री चौखाराम पिता स्व. भीमा जी भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्री हीरा पिता स्व. भीमा जी भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती इन्द्री पत्नी स्व. भीमा जी भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्री मनोहर पिता स्व. वरदा जी भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
10. श्री ख्यालीलाल पिता स्व. वरदा जी भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
11. श्री अर्जुन पिता स्व. श्री देवीलाल भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
12. श्री चुन्नीलाल पिता स्व. श्री देवीलाल भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
13. श्री नारू पिता स्व. श्री देवीलाल भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
14. श्रीमती चुनकी पत्नी स्व. श्री देवीलाल भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
15. श्री शांतिलाल पिता केवलिया जी भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
16. श्री मीठालाल पिता वजेराम भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
17. श्रीमती मगनी बेवा मोतीलाल भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:41 IST
Reason: SelfAttested

18. श्री लाला पिता मोतीलाल भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
19. श्री फतेहलाल पिता मोतीलाल भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
20. श्री ईश्वर लाल पिता मोतीलाल भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
21. श्रीमती गंगली बेवा जेता जी भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
22. श्री सुरेश पिता जेता जी भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
23. श्री वाला पिता जेता जी भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. श्री नोजा पिता रामा जी भील, निवासी उसर, तहसील केलवाडा, जिला राजसमन्द (राज.), हाल निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्री भंवरलाल पिता केवलिया जी भील, निवासी कालोडा, (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)।

.....रेस्पोडेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी बड़गांव
दि॰ 20–02–2025 प्र0सं0 109/2024

———/———

उपस्थित :– 1. श्री विशाल अग्रवाल अभिभाषक अपीलान्टगण
2. श्री अरूण जैन अभिभाषक रेस्पोन्डेंट संख्या – 01

———::———

निर्णय **दिनांक 18–06–2025**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1, 2 संपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के परिवार का सजरा प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 अनुसार होकर मूल पुरूष तुलसा जी थे जिनके 5 पुत्र पन्ना, दल्ला, भीमा, Signature Not Verified व गोटा लाऔलाद

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:41 IST
Reason: SelfAttested

फौत हुये। पन्ना के वारिस पीथाराम, दुधाराम, धन्नाराम व पत्नी खमाणीबाई तथा पुत्री मीराबाई है। केवलिया के छः पुत्र देवीलाल, मोतीलाल, जेता, वजेराम, शांतिलाल व भवंरलाल है। जिनमे देवीलाल, मोतीलाल, जेता, वजेराम का स्वर्गवास हो चुका है। देवीलाल के तीन पुत्र अर्जूनलाल, चुन्नीलाल, नारू एवं पत्नी चुनकी है। मोतीलाल के तीन पुत्र लाला, फतेहलाल, ईश्वरलाल एवं पत्नी मगनीबाई है। जेता के दो पुत्र सुरेश, वाला व पत्नी गंगली है। वजेराम का एक पुत्र मीठालाल है। भीमा के पांच पुत्र वरदा, कमलाराम, खमाण, चौखाराम, हीरा एवं पत्नी इंद्री है। वरदा का स्वर्गवास हो गया है जिसके दो पुत्र मनोहर व ख्यालीलाल है। पन्ना की पत्नी खमाणीबाई तथा पुत्री मीराबाई ने दिनांक 27–06–2014 को अपने अपने हिस्से का रजिस्टर्ड हक त्याग पीथाराम, दुधाराम, धन्नाराम के पक्ष मे कर दिया। जिससे वादग्रस्त आराजिया मे इनका कोई हक हिस्सा नहीं होने से इन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है।

ग्राम कालोडा (भूरीतलाई) तहसील बड़गांव मे आराजी नंबर 836, 837, 862 से 865, 868, 869, 887, 888, 898, 896, 901, 907, 911 से 915, 917, 918, 950, 951, 954 से 956, 958 से 965, 972 से 976, 988, 1313 से 1316, 1318, 1319, 1323 से 1326, 1332, 1334, 1338, 1345, 1346 कुल किता 55 रकबा 20.18 हैक्टेयर भूमि स्थित है। आराजी नंबर 985, 986 किता 2 रकबा 0.0758 हैक्टेयर भूमि दला पिता तुलसा भील के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 4 मे वर्णित उक्त आराजियात में तुलसा के पांच पुत्र पन्ना, दल्ला, भीमा, केवलिया व गोटा के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे 1/5, 1/5 हिस्सा अनुसार दर्ज है। गोटा लाऔलाद फौत हुआ। गोटा बीमार एवं पागलों की तरह रहता था जिसकी सेवा हेतु श्रीमती चेनकी को रखा था जो विवाहिता नहीं थी परन्तु चेनकी पूर्व से ही केशा पिता उमा भील की विवाहिता थी। गोटा सन् 1970 से लेकर उसके स्वर्गवास तक उसकी सेवा चाकरी पन्ना, भीमा व केवलिया ने की। जिससे गोटा का 1/5 हिस्सा उसके भाई पन्ना, भीमा, केवलिया मे कानूनन निहित हो जाता है। जिससे विवादित आराजीयात मे पन्ना, भीमा व केवलिया का 4/5 हिस्सा हो गया। दला ने अपना 1/5 हिस्सा विपक्षी संख्या 1 को पंजीकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया जिससे राजस्व रिकॉर्ड मे विपक्षी संख्या 1 का नाम दर्ज हो गया। दला पिता तुलसा का स्वर्गवास सन् 2007 में हो गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:41 IST
Reason: SelfAttested

जो लाऔलाद फौत हुआ। दला की विवाहिता पत्नी का स्वर्गवास हो जाने के बाद दला जी के यहां गेदीबाई जा कि रामा गमेती की विवाहिता पत्नी थी, जिसके नुत्फे से विपक्षी संख्या 1 का जन्म हुआ। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 रामा गमेती का पुत्र है। इस लिए विवादित आराजी नंबर 985 व 986 में विपक्षी संख्या 1 का कोई हक व अधिकार नहीं है, किन्तु विपक्षी संख्या 1 ने पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियों से मिलकर नामान्तकरण अपने नाम कराने पर उतारू है जिससे उसे रोका जाना आवश्यक है। अतः विवादित आराजी नंबर 985 व 986 की मूलवाद के निर्णय तक मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 20–02–2025 से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थीगण द्वारा यह अपील दिनांक 12–03–2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन सूचना दी गई। जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अरूण जैन उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री विशाल अग्रवाल उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट/प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर कोई गौर नहीं किया हैं, जबकि अपीलान्ट ने स्पष्ट कहा है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 नोजा दला का पुत्र नहीं हैं, बल्कि रामा का पुत्र है जिसकी गौत्र डूगंरी है जबकि दला की गौत्र परमार है। नोजा अपनी मां के साथ आया था इसलिए दला का जाईन्दा लडका नहीं होकर बाकडा बेटा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश मे मात्र यह लिखा है कि विपक्षी नोजा को विरासत से संपत्ति प्राप्त हुई है, जबकि नोजा दला का जाईन्दा लडका नही होने से विरासत से संपत्ति प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने नोजा को दला का पुत्र मानते हुये उक्त आदेश पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किया जावें तथा मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षीगण/रेस्पोडेंटगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:41 IST
Reason: SelfAttested

5. उक्त बहस का खण्डन करते हुए विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज की जावें।

6. हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दोनो पक्षकारों के मध्य घोषणा, विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा का वाद विचाराधीन है। अपीलान्ट/प्रार्थीगण ने मूलवाद के निस्तारण तक प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा चाही है, जिसमें मुख्य तीन बिंदु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति को देखा जाना आवश्यक है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस पर कोई विवेचन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय का यह मानना की बहस सुनने के बाद प्रतीत होता है कि ''विपक्षीगण के पक्ष में विरासत से नामान्तकरण दर्ज किया गया है'', में स्पष्टताः का अभाव है, जबकि पत्रावली के पृष्ठ संख्या 63 में जमांबदी की प्रति में नोजा पुत्र दला का विरासत से नामान्तकरण स्वीकृत हुआ है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में रिलीफ में स्वर्गीय गोटा के हिस्से के संबंध मे निषेधाज्ञा चाही गई है। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र का जवाब के संबंध में भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तद्नुसार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्रथम दृष्टया त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

7. अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–02–2025 अपास्त किया जाता है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये विवेचन के मद्दे नजर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदु प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति पर विस्तृत विवेचन करते हुये साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 18–08–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 18–06–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.07.04 14:52:41 IST
Reason: SelfAttested